

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :- 176/2020

प्रार्थी :-

1. गुणेशाराम पुत्र राणाराम जाति जाट ग्राम कपूरडी तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. बाबूराम पुत्र हीराराम
2. मांगीलाल पुत्र हीराराम
3. प्रतापराम पुत्र हीराराम
4. रूकीदेवी बैवा हीराराम सभी जातियान जाट निवासी गोदारों की ढाणी कपूरडी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी.ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

अधिवक्तागण :- 1 श्री लाघुराम चौधरी प्रार्थीगण वकील

आदेश

दिनांक :- 30.07.2021

प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत के खसरा न0 1824/1522 में से व खसरा संख्या 1907/1522 मौजा कपूरडी से खसरा नंबर 1523 में से होते हुए बांकियावास से कपूरडी जाने वाले रोड तक आवागमन उपयोग हेतु संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल में मार्क ए से बी दर्शाये है उससे विप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा न0 1523 बिस्वा में संलग्न नक्शा परिशिष्ट अ में बरंग लाल रास्ता 15 फिट चौड़ा रास्ता घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व/2020/83 दिनांक 19.01.2021 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा कपूरडी में आवेदक के नाम खातेदारी भूमि में जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 1824/1522 के नाम खातेदारी भूमि है जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 1523 व खसरा संख्या 1907/1522 खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड दर्ज है। में से रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित की है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि नहीं। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 40644/ रूपये प्रति बीघा है। रास्ते हेतु कुल रकबा 0.03 व 0.01 बीघा कुल रकबा 0-04 बीघा भूमि बनती है।



उपखण्ड अधिकारी
S.D.O.) बालोतरा



(2)

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना एवं पत्रावली का महाराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा कपुरडी के खेत खसरा नं० 1824/1522 जो पुस्त पर अंकित नजरी मानचित्र में बताए अनुसार कुल रकबा 0-04 बीघा भूमि होती है जो उपयुक्त एवं निकटतम रास्ता है।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड से जांच की गई जिसके अनुसार मौजा कपुरडी के खसरा संख्या 1824/1522 की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत से नया मार्ग नक्शा परिशिष्ट - 'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक जो प्रार्थीगण के निकटतम रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प में उपलब्ध नहीं है, चुकी प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खेत खसरा मौजा प्रार्थी खसरा नं० 1824/1522 मौजा कपुरडी पटवार हल्का मूलजी की डाणी तहसील जिला बाडमेर में जाने हेतु खसरा नम्बर 1523 व 1907/1522 रकबा कमशः 3 विस्वा व 1 विस्वा भूमि में से नया मार्ग तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट - 'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक भूमि रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थी इस हेतु डी.एल.सी रेट 40644/- प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए कुल रकबा 0-04 बीघा भूमि की राशि 8130/रुपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति राशि रूपये 12200/- रूपये सम्बन्धित खातेदारान को भुगतान करे तथा 4070 रूपये राजस्थान सरकार के खाते जमा करे एवं भुगतान रसीद तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करावें, राशि जमा की रसीद प्राप्त होने पर तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

मौका रिपोर्ट दिनांक 12.01.2021 एवं प्रस्तावित नक्शा में चिन्हित किया गया

प्रस्तावित रास्ता इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।



आदेश आज दिनांक 30.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.) बालोतरा